

7/3/18 वरुण प्रदीप उपायुक्त वकील प्रायोजन निवेदन किया
 व आदेशिका पर अंकित किया कि प्रायोजन अध्यायिका
 के विकृत अधिकार के बाद प्रायोजन पत्र लाने का अधिकार
 सुरक्षित रखते हुए वर्तमान में अध्यायिका के खिलाफ
 कोई कार्रवाई नहीं चालते हैं। इसलिए प्रायोजन पत्र पर
 कार्रवाई इसी स्तर पर होप की जावे। अध्यायिका के
 वकील के कोई ऐतराज नहीं किन्तु एसी रिपोर्ट के
 वकील वादी का निवेदन स्वीकार योग्य होने से
 स्वीकार किया जा रहा है। तथा प्रायोजन पत्र पर कार्रवाई
 इसी स्तर पर होप की जाती है। मिसल फैसल
 शुमार होकर नवंबर से कम हो बाद फरार पाविल है।

ह

(सरोज चावला)
 उपराज्य अधि. एवं सहायक कलक्टर
 भद्रपुर (अजमेर) राज०

नीमा 2 4
 प्रायोजन प्रतिवादीगण
 के खिलाफ अधिकार के
 वापस लेने का अधिकार सुरक्षित
 रखते हुए वर्तमान में
 अध्यायिका के खिलाफ
 कोई कार्रवाई नहीं चालते हैं।
 इसलिए अध्यायिका के
 खिलाफ कार्रवाई होप
 की जावे।
 7/3/18

